

**कार्यालय कार्यपालन अभियंता,
लो.नि.वि.सेतु निर्माण संभाग, रायपुर (छ.ग.)**

ज्ञाप क्र.

/शिल्प/ काजल नदी

रायपुर, दिनांक.....

प्रति

कलेक्टर,
जिला-धमतरी (छ.ग.)

विषय :- जिला धमतरी के जबर्रा-नगरी मार्ग के काजल नदी पर पुल एवं पहुंचमार्ग निर्माण हेतु धमतरी वन मंडल के अंतर्गत प्रभावित वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु प्रमाण पत्र प्रदाय करने बाबत।

-----000-----

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि धमतरी जिले के धमतरी वन मंडल के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग रायपुर के अंतर्गत नगरी-जबर्रा मार्ग में कलस नदी (काजल) पर पुल निर्माण कार्य से 1.701 हेक्टेयर वन भूमि प्रभावित हो रही है, जिसके प्रत्यावर्तन प्रस्ताव हेतु प्रभावित स्थल में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 (वन अधिकार अधिनियम 2016) के तहत प्रमाण पत्र प्रदाय करने का कष्ट करें।

सहपत्र :- 0


कार्यपालन अभियंता,
लो.नि.वि. सेतु निर्माण संभाग,
रायपुर छ.ग.

पृ. क्र. 3725 /शिल्प/ काजल नदी

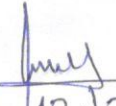
रायपुर, दिनांक 07/7/17

प्रतिलिपि :-

1. वनमण्डलाधिकारी वन मंडल धमतरी, जिला धमतरी की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. अनुविभागीय अधिकारी, लो.नि.वि. सेतु निर्माण उपसंभाग धमतरी की ओर उनके द्वारा मौखिक जानकारी के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सहपत्र :- 0


कार्यपालन अभियंता,
लो.नि.वि. सेतु निर्माण संभाग,
रायपुर छ.ग.


12/7/17
आवक लिपि
जिला कार्यलय धमतरी